फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

नाथी उर्फ कौशल्या देवी बनाम उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय व अन्य

केस संख्या 66/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
02.08.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नायक का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 101/2021 व उनवानी नाथी उर्फ कौशल्या देवी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नायक से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नायक का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर	